

प्ररूप 26
(नियम 4क देखिए)

34 लखसर विधान सभा क्षेत्र.....(निर्वाचन क्षेत्र से)

(निर्वाचन क्षेत्र का नाम)

उत्तराखण्ड विधान सभा (सदन का नाम) के लिए निर्वाचन के लिए रिटनिंग आफिसर के समक्ष अभ्यर्थी द्वारा प्रस्तुत किया जाने वाला शपथ-पत्र

में, पेम् सिंह पुत्र/पुत्री/पत्नी रामपाल
आयु 45 वर्ष, जो शिवपुरी लखसर
का/की निवासी हूँ और उपरोक्त निर्वाचन से अभ्यर्थी हूँ, सत्यनिष्ठा से प्रतिज्ञा करता हूँ/करती हूँ/शपथ पर निम्नलिखित कथन करता हूँ/करती हूँ:-

1. मैं ऐसे किसी लंबित मामले में दो वर्ष या अधिक के कारावास से दण्डनीय किसी अपराध (अपराधों) का/की अभियुक्त नहीं हूँ जिसमें सक्षम अधिकारिता वाले न्यायालय द्वारा आरोप विरचित किया गया है/किए गए हैं।

(यदि अभिसाक्षी ऐसे किसी अपराध (अपराधों) का/की अभियुक्त है तो वह निम्नलिखित जानकारी प्रस्तुत करेगा/करेगी):-

(i) मिसाल/प्रथम सूचना रिपोर्ट संख्या/संख्याएं.....X

(ii) पुलिस थाना (थाने).....X जिला (जिले) X राज्य X

(iii) संबंधित अधिनियम (अधिनियमों) की धारा (धाराएं) और अपराध (अपराधों) का संक्षिप्त विवरण जिसके (जिनके) लिए अभ्यर्थी आरोपित किया गया है, कुद नहीं!

(iv) न्यायालय, जिसके (जिनके) द्वारा आरोप (आरोपों) की विरचना की गई.....X

(v) तारीख (तारीखें) जिनको आरोप विरचित किया गया था.....X

SL. No. 3585 (vi) क्या सभी या कोई कार्यवाही किसी सक्षम अधिकारिता वाले न्यायालय द्वारा रोकी गई है/हैं.....X
Dated 12/1/2012

2. मुझे किसी अपराध (अपराधों) (लोक प्रतिनिधित्व अधिनियम, 1951 (1951 का 43) की धारा 8 की उपधारा (1) या उपधारा (2) में निर्दिष्ट या उपधारा (3) के अंतर्गत आने वाले किसी अपराध (अपराधों) से भिन्न के लिए सिद्धदोष ठहराया गया है/नहीं



ठहराया गया है और एक वर्ष या अधिक के लिए कारावास से दण्डादिष्ट किया गया है/नहीं किया गया है।

(यदि अभिसाक्षी उपर्युक्त रूप में सिद्धदोष ठहराया गया और दण्डादिष्ट किया गया है तो वह निम्नलिखित जानकारी प्रस्तुत करेगा) :- नहीं

(i) मामला/प्रथम सूचना रिपोर्ट संख्या/संख्याएं... X (कुछ नहीं)

(ii) न्यायालय, जिसने दण्डित किया है... X कुछ नहीं

(iii) पुलिस थाना (थाने)... X कुछ नहीं जिला (जिले) X
राज्य... X

(iv) संबंधित अधिनियम (अधिनियमों) की धारा (धाराएं) और उस अपराध (उन अपराधों) का संक्षिप्त विवरण जिसके (जिनके) लिए अभ्यर्थी कभी आरोपित किया गया है... X कुछ नहीं

(v) तारीख (तारीखें) जिनको दण्डादेश सुनाया गया था/सुनाए गए थे... X कुछ नहीं

(vi) क्या दण्डादेश सक्षम अधिकारिता वाले न्यायालय द्वारा रोका गया है/रोके गए हैं... X
नहीं

स्थान

तारीख

11-1-2012

सत्यापन

अभिसाक्षी के हस्ताक्षर

मैं, ऊपर नामित अभिसाक्षी, यह सत्यापित और घोषित करता/करती हूँ कि इस शपथ-पत्र की अंतर्वस्तु मेरे सर्वोत्तम ज्ञान और विश्वास के अनुसार सत्य और सही है और इसका कोई भाग मिथ्या नहीं है और कोई तात्त्विक बात छिपायी नहीं गयी है।

हरि डार स्थान पर आज तारीख 12-01-2012 को सत्यापित किया।

अभिसाक्षी के हस्ताक्षर

टिप्पणी :- इस प्ररूप के वे स्तम्भ, जो अभिसाक्षी को लागू नहीं हैं, काट दिये जायें।



उत्तराखण्ड UTTARAKHAND

कायालु लक्ष्मण 12AA 904749

समस्त निवार्यन अधिकारी हरिद्वार

SL. No. 3585
Dated..12/11/2011

शपथ पत्र - प्रेमसिंह पुत्र रामपाल सिंह अग्र 45
वृष नि० म० न० 104/1 शिवपुरी लक्ष्मण
जि० हरिद्वार



शपथ पूर्वक व्यान किया कि -
1. यह कि प्ररूप 26 निमम 4 क मे प्रस्तुत
शपथ पत्र का पंरा न० 1 ता० 2. सबसच व सबी
ही तथा सबग्न शपथ पत्र का भाग ही
तथा स्टाम्प मुख्य सबग्न ही

हो

हो

VERIFIED BY
DEEPAK KUMAR
Advocate & Notary
(HARDWAR)

Prms

Prms